संघे शक्ति सर्वदा   लेखपाल संघ-जिन्दाबाद

उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ

पंजी० संख्या : 75-4/II-A/359, 14 नवम्बर 1962

प्रधान कार्यालय : आलमबाग (सुजानपुरा, ओमनगर), पुराना बस स्टेशन के सामने, लखनऊ

Web : www.lekhpal.wordpress.com   E-mail : lekhpal.up@gmail.com

राम मूरत यादव
प्रदेश अध्यक्ष
+91-9456225600
पत्राचार : मो. शिव दयाल कम्पाउंड, निकट आई.टी.सी., सहारनपुर-247001 (उ.प्र.)

ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव
प्रदेश महामंत्री
+91-9415281875
पत्राचार : कृष्णा नगर, देवरिया खास, निकट गीता भवन, हनुमान मंदिर, देवरिया (उ.प्र.)

• उपाध्यक्षगण

दीपक त्यागी
(पश्चिमी जोन)
-9536500281

राजेन्द्र सिंह कछवाह
(मध्य जोन)
-9450223683

रामपूजन राम
(पूर्वी जोन)
-9451510484

• कोषाध्यक्ष

विनोद कुमार कश्यप
-8923920103

• संगठन मंत्रीगण

सुदेश कुमार
(पश्चिमी जोन)
-9758547258

मनोज त्रिपाठी
(मध्य जोन))
-9415434880

विनोद यादव
(पूर्वी जोन)
-9415678593

लेखापरीक्षक

भूपेन्द्र सिंह
-9198895639

पत्रांक महा०मं०/86   दिनांक 27/8/17

सेवा में,

श्रीमान प्रमुख सचिव (निर्वाचन)
उत्तर प्रदेश शासन।

विषयः– लेखपालों को निर्वाचन कर्मी घोषित करने एवं निर्वाचन में मानदेय व सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर अनुरोध करना है कि निर्वाचन सम्बन्ध कार्यों मे तहसील की भूमिका सदैव महत्वपूर्ण रहती है तथा तहसील मे सर्वाधिक भूमिका लेखपालों की निर्वाचन मे रहती है। निर्वाचन सम्बन्धी प्रत्येक कार्य को समय से पूरा करने मे अन्य सभी विभागों के कर्मचारियों की अपेक्षा लेखपालों को सबसे अधिक जिम्मेदारी का वहन करना पडता है जबकि उसको निर्वाचन सम्बन्धी कार्यों मे कर्मचारी के रूप मे न तो कोई भुगतान किया जाता है तथा न ही निर्वाचन कर्मी मानते हुए दुर्घटना होने पर अन्य निर्वाचन कर्मीयों की भाँति बीमा आदि का लाभ प्रदान किया जाता है।

लेखपालों के द्वारा निर्वाचन मतदान केन्द्र के निर्धारण, किस स्थान के निवासी को किस भाग संख्या मे मतदाता बनाना है, मतदाता को सुलभ मतदान केन्द्र बनाने से लेकर बी० एल० ओ० के कार्यों मे मदद व उसके कार्यों की समीक्षा तथा सुपरविजन किया जाता है। पोलिंग बूथों पर सूचना पेंट कराने से लेकर नवागत वोटरों के नाम बढाने के अभियानों व घर घर मतदाताओं के सत्यापन करने मे लेखपाल की अहम भूमिका रहती है। अपने हल्के मे मतदाता सूची के निर्माण के साथ साथ सामान्य, संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केन्द्रों के निर्धारण मे लेखपाल पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की मदद करता है। निर्वाचन हेतु मतपत्रों के लाने से लेकर इ०वी०एम० को तैयार करने मे लेखपाल कार्य करता है। लेखपाल पोलिंग पार्टी को बूथों पर पहुँचाने मे सहयोग के साथ साथ मतदान केन्द्र पर उनके सोने , खाने, प्रकाश व पंखे आदि की व्यवस्था लेखपाल करता है। पोलिंग बूथों पर फर्नीचर की कमी मे फर्श, टेबल, कुर्सी व टेंट की भी व्यवस्था करता है। लेखपालों के द्वारा निर्वाचन मे लगातार कार्य किया जाता है जिसमें उसका समय व धन व्यय होता है फिर भी लेखपाल को न तो मतदान कर्मी की तरह अतिरिक्त मानदेय व बीमा आदि की सुविधा दी जाती है तथा न ही उसकी निर्वाचन कार्य मे सहयोग के लिए महत्व को देखते हुए कोई प्रशस्ति पत्र आदि दिया जाता है। लेखपालों के द्वारा लगातार अपने श्रम, समय व धन का व्यय कर निर्वाचन कार्य किया जाता है, जिसके लिए लेखपालों को मानदेय व भत्ते दिये जाने चाहिये।

अतः महोदय से निवेदन है कि निर्वाचन कार्य में सहयोग हेतु निम्न प्रकार मानदेय/भुगतान की व्यवस्था की जाय–

1. **निर्वाचन सम्बन्धी महत्वपूर्ण कार्यों के सम्पादन में महत्वपूर्ण एवं प्रभावी भूमिका का निर्वहन करने के कारण लेखपाल को निर्वाचन कर्मी घोषित**

कर अन्य निर्वाचन कर्मियों यथा मतदान कर्मी, मतगणना कर्मी आदि की भाँति बीमा सुविधा दी जाये।

2. चुनावी वर्ष में जबसे निर्वाचन नामावलीयों का पुनरीक्षण शुरू होता है तथा मतदान/मतगणना समाप्त होती है, लेखपाल प्रशासन के सहयोगी के रूप में विभिन्न कार्य में लगा रहता है। जिसमें उसका श्रम, समय व धन व्यय होता है। इसके अतिरिक्त बूथों की फोटोग्राफी, निर्वाचन आयोग के एप्प पर नेट द्वारा अपलोडिंग आदि कार्य करने में भी लेखपालों का धन व्यय हो रहा है। अतः चुनावी वर्ष में एक माह का अतिरिक्त वेतन लेखपाल को दिया जाये।
3. बूथ निर्माण हेतु बल्ली, रस्सी व मजदूर आदि की व्यवस्था हेतु धनराशि बढ़ाकर उत्तराखण्ड राज्य के समान 500 रूपये प्रति बूथ की जाये।
4. अस्थायी बूथ निर्माण अथवा मतदान केन्द्रों पर छाया, अतिरिक्त फर्नीचर, पेट्रोमेक्स, जेनरेटर आदि की व्यवस्था किये जाने पर खर्च का भुगतान बिल के आधार पर किया जाये।
5. ई० वी० एम० मशीन की सैटिंग/ मतदान सामग्री के बण्डलिंग के कार्य में ड्यूटी का मानदेय दिया जाये।
6. मतदान सामग्री के वितरण एवं संग्रह करने के कार्य में ड्यूटी हेतु मानदेय दिया जाये।
7. वर्ष 2015–16 व 2016–17 में निर्वाचन नामावलीयों के पुनरीक्षण कार्य में पर्यवेक्षक के रूप में की गई ड्यूटी हेतु शासनादेश दिनाँक 18 अक्टूबर 2015 के अनुसार मानदेय रूपये 12000 व यात्रा व्यय रूपये 1000 की दर से भुगतान कराया जाये।

भवदीय

(ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव)
प्रदेश महामंत्री

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु–
1. मा० प्रमुख सचिव (राजस्व), उ० प्र० शासन।
2. मा० आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, लखनऊ।

(ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव)
प्रदेश महामंत्री